

 <p>क.रा.बी.नि. E.S.I.C.</p>	<p>कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ESIC Medical College & Hospital देसूला एम.आई.ए. अलवर (राज.)- 301030 Desula, MIA, Alwar (Raj) - 301030 E-mail: dean-alwar.rj@esic.nic.in ms-alwar.rj@esic.nic.in</p>
---	---	---	--

A-ICC/3/2023-ADMN

दिनांक:15-05-2024

परिपत्र

विषय: महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 से संबंधित आंतरिक शिकायत कमेटी के पुनर्गठन के संदर्भ में।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी महोदय ने समसंख्यक नोट# 137 पर इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अलवर में महिलाओं की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत सुनने/जाँचने हेतु आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया गया है:-

क्र.सं.	नाम व पद	समिति में पदभार	टिप्पणी
01	डॉ. उषा रानी , एसोसिएट प्रोफेसर (सर्जरी)	पीठासीन अधिकारी	Mob-9845054071
02	डॉ. निवेदिता, डायरेक्टर प्रोफेसर (फार्मैकोलॉजी)	सदस्य	Mob- 9448454436
03	डॉ. शिल्पा खुन्नर, एसोसिएट प्रोफेसर (फिजीयोलॉजी)	सदस्य	Mob -9015216266
04	डॉ. संतोष मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी)	सदस्य	Mob -7850066732
05	श्रीमति पुष्पा सैनी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सदस्य	Mob- 7976260689
06	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक (प्रशासन)	सदस्य	Mob -7838430890
07	श्री चंद्र शेखर शर्मा, कानूनी विशेषज्ञ	बाहरी सदस्य	Mob -9783455253

उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुरूप कार्य सम्पन्न किए जायेंगे।

भवदीय

(राकेश कुमार)
सहा. निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पीठासीन अधिकारी एवं सभी सदस्य |
2. एस सी टी सेल/ सतर्कता शाखा , मुख्यालय क.रा.बी.निगम, पंचदीप भवन , सीआई जी मार्ग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
4. निजी सहायक - अधिष्ठाता, निजी सहायक - चिकित्सा अधीक्षक/ उपचिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अलवर को सादर सूचनार्थ।
5. आई टी , क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अलवर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (निवेदन के साथ क.रा.बी.निगम वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे)।
6. सूचना पट्ट।